समयबद्ध

ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 3142 /14–1 (13881/2015) दिनांकःअलीगढ़, मार्चः 27 ,2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भः–
1– भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0 दिनांक 01.02.2024.
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–1892/11सी–FP/UP/others/13881/2015 दि0 02.02.2024.
3. आपका पत्रांक–3573/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 18.03.2024.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक–3573/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 18.03.2024 से कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है जिसमें आपत्ति के क्रम0सं0–2 पर उल्लिखित टिप्पणी में आपके द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में क्रम0सं0–2 पर उल्लिखित टिप्पणी में पूर्ण विवरण एवं संलग्नकों सहित आख्या आफलाइन/ऑनलाइन इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वृत्त स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी–वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

16/d/ land transfer/ aligarh/ PROPSAL NO 13881 of 2015